पुलिस आदेश संख्या......75......../2019

विषय– सरकारी वाहनों से यातायात संकेत उल्लंघन के उपरांत जुर्माना की राशि वसूली।

राँची शहरी क्षेत्र में यातायात परिचालन का अनुश्रवण CCTV प्रणाली से जनवरी, 2019 से हो रहा है। निकट भविष्य में अन्य 05 बड़े शहरों में भी यह प्रणाली लागू होगी। प्रायः देखा जा रहा है कि कतिपय पुलिस वाहनों द्वारा यातायात संकेत के उल्लंघन के कारण जुर्माने से संबंधित Auto Generated Challan पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखंड, राँची के पदनाम से निर्गत हो रहे हैं क्योंकि सभी पुलिस वाहनों का निबंधन रक्षित परिवहन मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजन के पदनाम से ही होता है। ऐसी स्थिति में जुर्माने की राशि की वसूली नहीं हो पाना कभी भी लोक शिकायत का आधार बन सकता है।

उपरोक्त परिस्थिति में निदेश दिया जाता है कि **सभी जिला/वाहिनी एवं संलग्न ईकाईयों में चालकों को इस बिन्दु पर लगातार सर्तक रहने की हिदायत दी जाय।** सरकारी पुलिस वाहनों द्वारा यातायात संकेत उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) कार्यालय में प्राप्त सभी Auto Generated Challan रक्षित परिवहन मुख्यालय को भेजे जायें जहाँ से उन्हें वाहनों के आवंटन के आधार पर संबंधित **पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा/ईकाई प्रभारी को भेजा जा सकेगा। संबंधित पुलिस अधीक्षक/ समादेष्टा /ईकाई प्रभारी घटना की तिथि एवं समय को दोषी चालक (जिन्हें वह वाहन आवंटित किया गया था) से जुर्माने की राशि वसूलकर** उसे पुलिस अधीक्षक, यातायात के कार्यालय में या स्वीकृत भुगतान व्यवस्था के तहत जमा कराकर प्राप्ति रसीद कार्यालय में संधारित रखेंगें।

इस आदेश का अनुपालन तत्काल प्रभाव से दृढ़ता से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

DKPandey 14.3.19

(दिनेश कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,
झारखंड,राँची।

(कृ0पृष्ठ–2 पर)

ज्ञापांक....116....../एन0जी0ओ0
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय,झारखंड,राँची।

राँची, दिनांक- 14.3.2019

प्रतिलिपि :-

1. महानिदेशक(मुख्यालय)/महानिदेशक(झा0स0पु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक ,मानवाधिकार/प्रशिक्षण/प्रोविजन/मुख्यालय/अभियान/अप0अनु0विभाग/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/एस0टी0एफ0/रेल,झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
4. निदेशक,झारखंड पुलिस अकादमी,हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
5. पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक/बजट)/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (विशेष शाखा/झा0स0पु0/जंगल वारफेयर स्कूल,नेतरहाट/रेल/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/वितन्तु सहित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
6. वरीय पुलिस अधीक्षक,राँची/धनबाद/जमशेदपुर/सभी पुलिस अधीक्षक(विशेष शाखा/ अप0अनु0विभाग/रेल/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आई0टी0एस0/एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0/जे0ए0पी0टी0सी0,पदमा हजारीबाग/यातायात राँची) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
7. सभी समादेष्टा (आई0आर0बी0/एस0आई0एस0एफ0/एस0आई0आर0बी0 सहित) झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
8. प्राचार्य,टी0टी0एस0,जमशेदपुर/ पुलिस उपाधीक्षक,रक्षित परिवहन मुख्यालय/पुलिस उपाधीक्षक,केन्द्रीय भण्डार, परिचारी प्रवर पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

AKPandey
14.3.19

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,
झारखंड,राँची।